



2026:AHC:27392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 18321 / 2025

जुल्फिकार अहमद सिद्दीकी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अक्षय कुमार शुक्ला, रवींद्र पाल सिंह कश्यप

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 04.12.2025 को रिट याचिका को स्वीकार किया था और निर्देशों की मांग की थी।
3. आज न्यायालय के समक्ष जिला विकास अधिकारी, बदायूँ के हस्ताक्षर युक्त निर्देश दिनांक 03.01.2026 प्रस्तुत किए गए हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करना नहीं चाहते हैं, अतः रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।
5. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 02.03.1995 को सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि, सेवानिवृत्ति के पश्चात जिला विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2025 को एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया और दिनांक 10.09.2025 एवं 04.11.2025 के अन्य आदेशों के माध्यम से 9,14,109/- रुपये की वसूली की मांग की गई।
6. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
7. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश टिकने योग्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब दिनांक 04.11.2025 के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए 09.10.2025 के एक वचन-पत्र का संदर्भ दिया गया है, जबकि उक्त वचन-पत्र का उस वसूली से कोई लेना-देना नहीं है जो वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात की जा रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर स्वीकार किया कि दिनांक 09.10.2025 का वचन-पत्र ऐसा प्रतीत नहीं होता जो प्रतिवादियों को ₹9,14,109/- की राशि वसूलने का औचित्य प्रदान करे। उनके अनुसार, इस संबंध में अब नए सिरे से प्रक्रिया (Fresh exercise) अपनाई जाएगी।

9. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. स्पष्ट रूप से, जिला विकास अधिकारी, बदायूँ का आक्षेपित आदेश दिनांक 04.11.2025, एक वचन-पत्र दिनांक 09.10.2025 का उल्लेख करते हुए ₹9,14,109/- की वसूली का निर्देश देता है। हालांकि, जैसा कि श्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि उक्त वचन-पत्र यह नहीं दर्शाता कि यह वसूली जाने वाली राशि से संबंधित है, अतः रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित की जाती है:—

रिट-याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 27.02.2026 तक जिला विकास अधिकारी, बदायूँ के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जिला विकास अधिकारी, बदायूँ 20.03.2026 तक याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। इसके पश्चात, रिट-याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर उसका जवाब देगा। तत्पश्चात, छह सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे। जिला विकास अधिकारी, बदायूँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2025, 10.09.2025 और 04.11.2025 आगामी पारित होने वाले आदेशों के अधीन रहेंगे।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

12. आज दाखिल निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और 'परिशिष्ट-ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

5 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"